झारखंड सरकार,

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक...............................

संख्या :–01/नीति–05–04/2024–....................../ झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम–II, 1915) की धारा 89 एवं 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, सह–पठित धारा 16 एवं 20 का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, देशी/मसालेदार/Flavoured देशी/भारत निर्मित विदेशी/आयातित विदेशी (मूल में बोतलबंद) शराब, (बीयर/वाईन/ब्रीजर/लिक्योर/शैम्पेन सहित) के भंडारण एवं थोक बिक्री हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 01/नीति–05–03/2022–649 दिनांक 31.03.2022 द्वारा अधिसूचित ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–**

   (i) यह नियमावली **''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025''** कही जायेगी।

   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

   (iii) यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

2. ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022'' के निम्नांकित नियमों में संशोधन/नियमों का अंतःस्थापन किया जाता है –

क्र0	नियम	वर्तमान नियम	संशोधित/प्रतिस्थापित नियम
1	2(vii)	''वितरक'' से अभिप्रेत है, वैसे व्यक्ति/कम्पनी/फर्म, जिन्हें उत्पाद प्रपत्र 19C/19E/19F में मदिरा के संचयन एवं बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;	''आपूर्त्तिकर्त्ता'' से अभिप्रेत है, वैसे व्यक्ति/कम्पनी/फर्म, जिन्हें विभाग द्वारा झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के विभिन्न गोदामों में मदिरा आपूर्त्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत की गई हो अथवा जिन्हें राज्य में देशी शराब के विनिर्माण हेतु उत्पाद प्रपत्र CL- I, Cl- II एवं CL- III में अनुज्ञप्ति प्राप्त हो;
2	2(xi)	''खुदरा विक्रेता'' से अभिप्रेत है, विभाग द्वारा अधिसूचित विभिन्न नियमावली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मदिरा की सीलबंद बोतलों की खुदरा बिक्री के लिए विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त अनुज्ञाधारी अथवा होटल, रेस्तरां, बार, क्लब एवं ऑन दुकानों में उपभोग हेतु मदिरा परोसने वाले अनुज्ञप्तिधारी;	''खुदरा विक्रेता'' से अभिप्रेत है, विभाग द्वारा अधिसूचित नियमावली एवं समय–समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञाधारी;
3	2(xviii)	''पेटी'' से अभिप्रेत है, विदेशी शराब के मामले में 1000ml का 9 बोतल, 750ml का 12 बोतल, 375ml	''पेटी'' से अभिप्रेत है, विदेशी शराब के मामले में 1000ml का 9 बोतल, 750ml का 12

		का 24 बोतल एवं 180ml का 48 बोतल। बीयर के मामले में 650ml का 12 बोतल, 500ml, 330ml, 325ml का 24 बोतल/कैन तथा देशी शराब हेतु विभिन्न माप की बोतलों के लिए समय–समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित माप एवं संख्या;	बोतल, 375ml/275ml का 24 बोतल एवं 180ml का 48 बोतल। बीयर के मामले में 650ml का 12 बोतल, 500ml, 330ml, 325ml का 24 बोतल/कैन तथा देशी शराब हेतु विभिन्न माप की बोतलों के लिए समय–समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित माप एवं संख्या तथा भारत में आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) व ब्रीजर/LAB के सभी पैक साईज व माप (बोतल/कैन);
4	2(xxviii)	''प्लेसमेंट एजेन्सी'' से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के निमित्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाला प्रतिष्ठान/कम्पनी	विलोपित
5	2(xxix)	अंतःस्थापन	''संचयकर्त्ता'' से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) जिसे खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्त्ति हेतु उत्पाद प्रपत्र 1C में संचयन गोदाम में मदिरा का भंडारण की अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो।
6	2(xxx)	अंतःस्थापन	''आपूर्त्ति शुल्क'' से अभिप्रेत है, 5 रूपये (पाँच रूपये) प्रति बल्क लीटर की दर से देय शुल्क, जो JSBCL द्वारा मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता के माध्यम से JSBCL के गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा;
7	2(xxxi)	अंतःस्थापन	''अप्रत्यर्पणीय आवदेन शुल्क'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में मदिरा की आपूर्त्ति हेतु कम्पनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क के रूप में जमा की गई राशि;
8	2(xxxii)	अंतःस्थापन	OFS (Order for Supply) से अभिप्रेत है, अनुमत मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा संचयकर्त्ता के गोदाम में मदिरा की आपूर्त्ति हेतु किया जाने वाला आवेदन, जिसपर प्रबंध निदेशक, JSBCL अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा निर्णय लिया जायेगा;
9	3	**संचयनकर्त्ता की अनुज्ञप्ति एवं संचालन–** (i) इस अनुज्ञप्ति का अनन्य विशेषाधिकार झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को प्रदान किया जायेगा। आयुक्त उत्पाद द्वारा,	**संचयकर्त्ता की अनुज्ञप्ति एवं संचालन–** (i) इस अनुज्ञप्ति का अनन्य विशेषाधिकार झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को प्रदान किया

		निर्धारित संख्या (संपूर्ण झारखंड राज्य में न्यूनतम पाँच), प्रमंडल/प्रक्षेत्र के अनुरूप ये अनुज्ञप्तियाँ स्वीकृत की जायेंगी। इन गोदामों के माध्यम से थोक अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा मदिरा संचयन की जायेगी। इस अनुज्ञप्ति हेतु JSBCL, रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए जमा करेंगी। (ii) मदिरा के संचयकर्त्ता अनुज्ञप्तियों का संचालन प्रमण्डल/प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पर्याप्त क्षमता के गोदाम के माध्यम से किया जायेगा। जहाँ से प्रमण्डल/प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के खुदरा उत्पाद दुकान में मदिरा की आपूर्त्ति की जायेगी। थोक बिक्री हेतु संचयन का गोदाम, सुलभ परिवहन के दृष्टिकोण से "No Entry Zone" से बाहर होना चाहिए। (iii) संचयकर्त्ता गोदाम का चयन JSBCL के द्वारा किया जायेगा एवं स्थल का अनुमोदन जिला के उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। (iv) संचयनकर्त्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व, गोदाम में अग्नि शमन विभाग के मापदण्डों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।	जायेगा। आयुक्त उत्पाद द्वारा, निर्धारित संख्या (संपूर्ण झारखंड राज्य में न्यूनतम पाँच), प्रमंडल/प्रक्षेत्र/जिला के अनुरूप ये अनुज्ञप्तियाँ स्वीकृत की जायेंगी। इन गोदामों के माध्यम से JSBCL के द्वारा मदिरा संचयन की जायेगी। इस अनुज्ञप्ति हेतु JSBCL, रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए जमा करेंगी। (ii) मदिरा के संचयकर्त्ता अनुज्ञप्तियों का संचालन प्रमण्डल/प्रक्षेत्र/जिला के अन्तर्गत पर्याप्त क्षमता के गोदाम के माध्यम से किया जायेगा। जहाँ से प्रमण्डल/प्रक्षेत्र/जिला के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के खुदरा उत्पाद दुकान में मदिरा की आपूर्त्ति की जायेगी। थोक बिक्री हेतु संचयन का गोदाम, सुलभ परिवहन के दृष्टिकोण से "No Entry Zone" से बाहर होना चाहिए। (iii) संचयकर्त्ता गोदाम का चयन JSBCL के द्वारा किया जायेगा एवं स्थल का अनुमोदन जिला के उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। (iv) संचयनकर्त्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व, गोदाम में अग्नि शमन विभाग के मापदण्डों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।
10	4	**थोक विक्रेता अनुज्ञप्तियों के प्रकार, स्थान एवं संख्या का निर्धारण**– सम्पूर्ण राज्य में न्यूनतम पाँच थोक बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। आयुक्त उत्पाद के द्वारा थोक अनुज्ञप्ति की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रमण्डल/प्रक्षेत्र के अन्तर्गत मदिरा की मांग एवं आपूर्त्ति की जाने वाली मदिरा की मात्रा को दृष्टिपथ रखते हुए आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकेंगी।	**थोक विक्रेता अनुज्ञप्तियों के प्रकार, स्थान एवं संख्या का निर्धारण**– सम्पूर्ण राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों तथा होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब में मदिरा की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति केवल JSBCL को प्रदान की जायेगी।
11	5	**मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता की अनिवार्य शर्त्तें**–	**विलोपित**

		(i) मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति केवल उन कम्पनियों को प्रदान की जायेगी, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत तथा संचालित है। अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत सफल आवेदक तीन माह के अंदर अपना शाखा कार्यालय (Branch Office) राज्य के अंदर स्थापित करना सुनिश्चित करेगा। आवेदक कम्पनी मदिरा का विनिर्माणकर्त्ता एवं आपूर्त्तिकर्त्ता नहीं होना चाहिए। (ii) आवेदक कम्पनी के निदेशक, भारत का नागरिक हो एवं 21 वर्ष से कम आयु का न हो। (iii) आवेदक की कम्पनी एवं उसके निदेशकों को, व्यतिक्रमी / काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित न किया गया हो। (iv) आवेदक की कम्पनी एवं उसके निदेशकों को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। यदि किसी आवेदक को फौजदारी न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित), स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा झारखंड छोआ अधिनियम, 1947 से संबंधित कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो इसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। (v) आवेदक कम्पनी / कम्पनी के निदेशकों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई सरकारी बकाया यथा Public Demand Recovery Act, राज्य सरकार द्वारा प्रभावी अन्य अधिनियम या नियमावली के तहत बकाया न हो। (vi) आवेदक कम्पनी / कम्पनी के निदेशक, दिवालिया न हो। (vii) आवेदक कम्पनी को कम–से–कम मदिरा के दो (2) वर्ष का थोक विक्रय का अनुभव होना चाहिए। (viii) आवेदक कम्पनी का विगत दो वित्तीय वर्ष में लगातार न्यूनतम 100 करोड़ रूपये प्रति वर्ष का Turnover होना चाहिए। उपरोक्त शर्त्तो को पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	
12	6	**आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात**	**विलोपित**

		– झारखंड राज्य में मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक आवेदक, विहित प्रपत्र में अपना लिखित आवेदन आयुक्त उत्पाद के समक्ष समर्पित करेंगे। आवेदक को इस नियमावली के नियम 5 से संबंधित कागजातों के अतिरिक्त निम्न विवरणी का उल्लेख तथा स्वअभिप्रमाणित कागजातों का संलग्न किया जाना आवश्यक होगा – i. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन/पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation/Registratoin) की दो प्रतियाँ; ii. कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एशोसिएशन (Articles of Association) की दो प्रतियाँ; iii. कम्पनी का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षित (Audited) वित्तीय अभिलेख यथा बैलेंस सीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account); iv. कम्पनी की अवस्थिति के संबंध में प्रपत्र 18 की प्रति; v. कम्पनी के निदेशकों के संबंध में प्रपत्र 29 एवं 32 की प्रति; vi. कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र; vii. कम्पनी का GST Registration No.एवं GST Return की प्रति; viii. कम्पनी का विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की प्रति; ix. कम्पनी का विगत तीन वित्तीय वर्षो का बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/प्रोफेशनल कर इत्यादि से संबंधित अद्यतन Return Filing की प्रति; x. कम्पनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) के द्वारा मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में पारित रिजोल्यूशन (Resolution) की प्रति; xi. कम्पनी का चालू बैंक खाता की प्रति; xii. कम्पनी का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख; xiii. कम्पनी के Board of Directors के द्वारा पारित कम्पनी Resolution के साथ कम्पनी के प्राधिकृत	

		प्रतिनिधि के संबंध में जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति; xiv. आपूर्त्तिकर्त्ता का सहमति पत्र, जिसके लिए थोक विक्रेता के द्वारा मदिरा की बिक्री खुदरा उत्पाद दुकानों को की जायेगी। यह सहमति पत्र Non Judicial Stamp Paper पर Notarized शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित किया जायेगा; xv. निर्धारित प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान की प्रति; xvi. आवेदक द्वारा विनिर्माता/आपूर्त्तिकर्त्ता इकाई के रजिस्टर्ड कार्यालय का पूर्ण पता, संग्रहित की जाने वाली मदिरा के ब्राण्ड व लेबलों की सूची, जो झारखंड राज्य में प्रदाय के लिए पंजीकृत है, के प्रत्येक लेबल की एक पेटी एवं केस में पैक की गई बोतलों तथा कैन्स की संख्या व उसकी धारिता का विवरण, विनिर्माण इकाई का स्थान, जहाँ से उक्त लेबलों की मदिरा लायी जायेगी, का आवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा; xvii. इस नियमावली के साथ संलग्न प्रतिरूप करार (Counterpart Agreement) जो रू0 100/– के Non Judicial Stamp Paper पर तैयार किया गया; xviii. अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क से संबंधित चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति; xix. आवेदक की वित्तीय क्षमता से संबंधित प्रमाण (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वित्तीय क्षमता के संबंध में निर्गत प्रमाण) पत्र; xx. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा; xxi. कम्पनी के CAद्वारा जारी किया गया Turnover Certificate; xxii. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांतआयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख; xxiii. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उपरोक्त पारा कंडिका 6 (xvi) में अंकित दस्तावेजों के अतिरिक्त एवं अतिरिक्त ब्राण्डों के दस्तावेज को समर्पित करने के आवेदन पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जा सकेगा एवं नियम 10(3) का अनुपालन थोक	

		विक्रेता एवं आपूर्त्तिकर्त्ता को करना होगा;	
13	7	**अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया**– (i) आयुक्त उत्पाद द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर मदिरा की थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। (ii) झारखंड राज्य में मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में इस कार्य हेतु विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन समर्पित करेगा। विज्ञप्ति प्रकाशन के कम–से–कम सात दिनों के पश्चात जैसा कि आयुक्त उत्पाद के द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल को खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के तहत प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। मूल आवेदन के साथ संलग्न मूल कागजातों को भी जाँच हेतु आयुक्त उत्पाद के कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अगली तिथि को जमा करना आवश्यक होगा। इन अभ्यावेदनों की जाँच आयुक्त उत्पाद द्वारा गठित समिति के द्वारा की जायेगी। जाँचोपरांत योग्य आवेदकों के पक्ष में आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी। (iii) **जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क**– झारखंड राज्य में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के चयन के लिए प्रत्येक योग्य आवेदक को एक वित्तीय वर्ष हेतु न्यूनतम 50 (पचास) लाख रूपये एवं इसके अतिरिक्त रू0 5 प्रति बल्क लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा, जो थोक विक्रेता के द्वारा JSBCL के गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **जमानत राशि** के रूप में 2 (दो) करोड़ रूपये जमा करना अनिवार्य होगा। (iv) वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी आवेदक के द्वारा थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है, तो वित्तीय वर्ष के उस तिमाही से शेष बचे हुए वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क त्रैमासिक समानुपातिक रूप से एकमुश्त देय होगा। उदाहरण स्वरूप–अनुज्ञप्ति	**अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया**– (i) विभाग के द्वारा प्रबंध निदेशक, JSBCL के आवेदन के आधार पर संचयनकर्त्ता एवं थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। (ii) **विलोपित** (iii) **जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क**– झारखंड राज्य में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क, एक वित्तीय वर्ष हेतु न्यूनतम 12 करोड़ रूपये देय होगा एवं सभी प्रकार के खर्च एवं कर के भुगतान के उपरांत JSBCL के बचत का 80% भी आगामी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में देय होगा। इसके अतिरिक्त रू0 5 प्रति बल्क लीटर की दर से आपूर्त्ति शुल्क देय होगा, जो JSBCL द्वारा मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता के माध्यम से JSBCL के गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व राज्य कोषागार में जमा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **जमानत राशि** के रूप में 2 (दो) करोड़ रूपये जमा करना अनिवार्य होगा। (iv) **विलोपित** (v) **जमानत की राशि की वापसी**– अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार को देय सभी बकाया राशि के समायोजन के पश्चात जमानत की राशि की वापसी की जायेगी। समय–समय पर वर्णित जमानत की राशि में परिवर्तन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा। (vi) सैन्य बलों के कैन्टिन (उत्पाद प्रपत्र 21) को मदिरा की थोक आपूर्त्ति हेतु प्रदत्त यथा रामगढ़ जिला में तथा अर्द्धसैन्य बलों को आवेदित जिला हेतु उत्पाद प्रपत्र 1 की अनुज्ञप्ति, इस नियमावली के क्रियाशील होने के उपरांत आवेदन के आधार पर, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुज्ञप्ति प्रपत्र में

		शुल्क यदि द्वितीय तिमाही में आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो आवेदक को तीन तिमाही का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। प्रथम तिमाही में अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने की स्थिति में पूरे वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। (v) **जमानत की राशि की वापसी**– अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार को देय सभी बकाया राशि के समायोजन के पश्चात जमानत की राशि की वापसी की जायेगी। समय–समय पर वर्णित जमानत की राशि में परिवर्तन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा। (vi) सैन्य बलों के कैन्टिन (उत्पाद प्रपत्र 21) को मदिरा की थोक आपूर्त्ति हेतु प्रदत्त रामगढ़ जिला में उत्पाद प्रपत्र 1 की अनुज्ञप्ति, इस नियमावली के क्रियाशील होने के उपरांत आवेदन के आधार पर, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुज्ञप्ति प्रपत्र में प्रदान की जायेगी। इस अनुज्ञप्ति हेतु जमानत की राशि 3 लाख रूपये तथा अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि 12 लाख रूपये प्रति वित्तीय वर्ष होगी। इस अनुज्ञप्ति के तहत झारखंड राज्य में असैनिक आपूर्त्ति हेतु निबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता के, केवल झारखंड राज्य में निबंधित ब्राण्डों की ही बिक्री की जायेगी।	प्रदान की जायेगी। इस अनुज्ञप्ति हेतु जमानत की राशि 3 लाख रूपये तथा अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि 12 लाख रूपये प्रति वित्तीय वर्ष होगी। इस अनुज्ञप्ति के तहत झारखंड राज्य में असैनिक आपूर्त्ति हेतु निबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता के, केवल झारखंड राज्य में निबंधित ब्राण्डों की ही बिक्री की जायेगी। उत्पाद प्रपत्र 1 में अनुज्ञप्तिधारक को सैन्य/अर्द्धसैन्य बलों के लिए मदिरा की आपूर्त्ति प्राप्त करने के पूर्व मदिरा की असैनिक बिक्री के निमित्त विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधानित उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर) का आधा (50%) की दर से उत्पाद कर की राशि अग्रिम रूप से कोषागार को जमा करना होगा। तत्पश्चात मदिरा की आपूर्त्ति प्राप्त करने के निमित्त आयात/परिवहन पारक निर्गत किया जायेगा।
14	8	**मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति की कालावधि–** (i) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के भाग के लिए बंदोबस्ती की जायेंगी। बंदोबस्ती अवधि के बाद भी इन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आयुक्त उत्पाद के अनुमोदन के पश्चात, मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा की थोक बिक्री संतुष्टिपूर्वक किये जाने तथा वांछित उत्पाद राजस्व की राशि जमा करने के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी, आगामी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी तक अवश्य रूप से जमा कर देगा। (ii) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ एक वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रदान की	**मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति की कालावधि–** (i) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के भाग के लिए बंदोबस्ती की जायेंगी। बंदोबस्ती अवधि के बाद भी इन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आयुक्त उत्पाद के अनुमोदन के पश्चात वांछित उत्पाद राजस्व की राशि जमा करने के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी, आगामी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन प्रत्येक वर्ष 10 मार्च तक अवश्य रूप से जमा कर देगा। (ii) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ एक वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग के

		जायेगी, जिनका नवीकरण उपकंडिका– (i) के अनुरूप किया जा सकेगा। (iii) अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व नियम 5 एवं 6 से संबंधित दस्तावेजों के पुनः समीक्षा करकिया जायेगा।	लिए प्रदान की जायेगी, जिनका नवीकरण उपकंडिका– (i) के अनुरूप किया जा सकेगा। (iii) अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
15	9	**थोक विक्रेता का उत्तरदायित्व–** (i) मदिरा के खुदरा बिक्री मूल्य तथा थोक बिक्री मूल्य के निर्धारण हेतु थोक विक्रेता इस नियमावली के नियम 2 (xiii) में यथा परिभाषित EDP/EBP/EWP आयुक्त उत्पाद के समक्ष समर्पित करेगा। खुदरा बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य का निर्धारण सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुरूप आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। किसी भी चालू ब्राण्ड के मदिरा के EDP/EBP/EWP में परिवर्तन हेतु आवेदन नियमानुसार वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में किया जा सकेगा। (ii) थोक विक्रेता उक्त गोदाम में मदिरा के संचयन हेतु मासिक प्रबंधन शुल्क संचित मदिरा की Landing Cost का 1% (GST छोड़कर) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को भुगतान करेंगे। (iii) मदिरा की प्रत्येक थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी को संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में प्रमंडल/प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जिला के मांग के अनुरुप अबाधित आपूर्त्ति हेतु न्यूनतम स्कन्ध (Stock) का संधारण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक थोक विक्रेता इस निमित्त प्रत्येक ड्यूटी Slab की मदिरा एवं पॉपुलर ब्राण्ड का न्यूनतम स्कन्ध (पूर्व के वर्षो में ड्यूटी/स्लैब के अनुसार बिक्री की गई मात्रा के अनुरुप) संधारित करेगा। प्रत्येक थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के लिए किसी भी समय संधारित किये जाने योग्य न्यूनतम स्कन्ध (Stock) के संबंध में आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा, जिसे मानना प्रत्येक अनुज्ञाधारी के लिए बाध्यकारी होगा। आयुक्त उत्पाद के द्वारा मदिरा के किसी ब्राण्ड के निमित्त निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में मदिरा का संचयन JSBCL के गोदाम में करने पर	**थोक विक्रेता का उत्तरदायित्व–** (i) EDP/EBP/EWP निर्धारण की प्रक्रिया झारखण्ड उत्पाद (लेबल निबंधन/नवीकरण एवं मदिरा का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2014 के आलोक में सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुरूप आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। (ii) **विलोपित** (iii) JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में प्रमंडल/प्रक्षेत्र/जिला के अंतर्गत विभिन्न जिला के मांग के अनुरुप अबाधित आपूर्त्ति हेतु न्यूनतम स्कन्ध (Stock) का संधारण करना अनिवार्य होगा। JSBCL इस निमित्त प्रत्येक ड्यूटी Slab की मदिरा एवं पॉपुलर ब्राण्ड का न्यूनतम स्कन्ध (पूर्व के वर्षो में ड्यूटी/ स्लैब के अनुसार बिक्री की गई मात्रा के अनुरूप) संधारित करेगा। JSBCL के लिए किसी भी समय संधारित किये जाने योग्य न्यूनतम स्कन्ध (Stock) के संबंध में आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा, जिसे मानना JSBCL के लिए बाध्यकारी होगा। 9 (iii) की **द्वितीय कंडिका विलोपित।**

		थोक अनुज्ञप्तिधारी पर उस ड्यूटी/स्लैब उत्पाद राजस्व के समतुल्य अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।	
16	10	**कॉरपोरेशन के कार्य–** (i) इस नियमावली के तहत कॉरपोरशन मुख्यतः मदिरा की आपूर्त्तिकर्त्ता एवं मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारियों के बीच समन्वय (Co-ordination) के साथ–साथ झारखंड राज्य में अवस्थित विभिन्न संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में मदिरा के संचयन का कार्य करेगा। (ii) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रत्येक प्रमण्डल/प्रक्षेत्र में आवश्यकतानुसार संचयन गोदाम (वेयरहाउस) का चयन करेगा। गोदामों के स्थल चयन में इस तथ्य का संज्ञान रखा जायेगा कि गोदाम से प्रक्षेत्र अंतर्गत सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्त्ति सुचारू रूपेण की जा सके। थोक विक्रेताओं के द्वारा उक्त गोदामों में केवल उसी आपूर्त्तिकर्त्ता के मदिरा का संचयन किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें उस आपूर्त्तिकर्त्ता से सहमति पत्र प्राप्त हो। (iii) आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनियों के द्वारा किसी भी थोक विक्रेता को सहमति प्रदान करने के पूर्व JSBCL एवं विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। (iv) कॉरपोरेशन/विभाग के वेबसाइट का उपयोग, आपूर्त्तिकर्त्ता/मदिरा की थोक विक्रेताओं द्वारा मदिरा की आपूर्त्ति हेतु मांग (Indent) लगाने एवं एतद् संबंधी पारक प्राप्त करने तथा पंजियों के संधारण के लिए किया जायेगा। (v) कॉरपोरेशन/विभाग के वेबसाइट पर विकसित एवं प्रयोग में लायी जा रही विभिन्न प्रकार के प्रपत्र एवं पंजियों के अनुसार ही थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्कन्ध (Stock) का संधारण किया जायेगा। (vi) प्रत्येक प्रमण्डल/प्रक्षेत्र में अवस्थित संचयन गोदाम (वेयरहाउस) से मदिरा की बिक्री केवल खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों को ही की जायेगी।	**कॉरपोरेशन के कार्य–** (i) इस नियमावली के तहत कॉरपोरशन मुख्यतः मदिरा की आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनी के साथ समन्वय (Co-ordination) स्थापित कर झारखंड राज्य में अवस्थित विभिन्न संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में मदिरा के संचयन एवं थोक बिक्री का कार्य करेगा। (ii) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रत्येक प्रमण्डल/प्रक्षेत्र/जिला में आवश्यकतानुसार संचयन गोदाम (वेयरहाउस) का चयन करेगा। गोदामों के स्थल चयन में इस तथ्य का संज्ञान रखा जायेगा कि गोदाम से प्रक्षेत्र अंतर्गत सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्त्ति सुचारू रूपेण की जा सके। JSBCL के द्वारा उक्त गोदामों में केवल उसी आपूर्त्तिकर्त्ता के मदिरा का संचयन किया जायेगा, जिसके लिए विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। (iii) आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनियों के द्वारा JSBCL के साथ मदिरा आपूर्त्ति संबंधी एकरारनामा करने से पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग हेतु विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 5 (पाँच) लाख रूपये प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए चालान (विभागीय मुख्यशीर्ष 0039) के माध्यम से अग्रिम देय होगा। उक्त अग्रिम देय राशि अप्रत्यर्पणीय होगी। उक्त आवेदन शुल्क नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से लागू होगी। देशी शराब निर्माता–सह–आपूर्त्तिकर्त्ता अनुज्ञप्तिधारी, जिसे उत्पाद प्रपत्र CL- I, CL- II एवं CL- III में अनुज्ञप्ति प्राप्त है, को पृथक रूप

		(vii) खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्त्ति हेतु JSBCL के पोर्टल के माध्यम से पारक निर्गत करने हेतु Indent लगाया जायेगा, जिसकी स्वीकृति संबंधित सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दी जायेगी। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के द्वारा जिला अन्तर्गत मदिरा परिवहन हेतु अधिकतम दो दिन का समय परिवहन पारक में दिया जायेगा। किसी कारणवश दो दिन के अंदर मदिरा का उठाव नहीं करने की स्थिति में परिवहन पारक की अवधि को सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा। (viii) निर्धारित मूल्य वर्धित कर (वैट) के भुगतान के उपरांत ही मदिरा, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरोपोरेशन लिमिटेड संचयकर्त्ता के गोदाम में थोक विक्रेता द्वारा की जा सकती है। थोक विक्रेता द्वारा मदिरा के परेषण एवं संचयन के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक विनष्ट होने पर उत्पाद कर/शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं होगी। (ix) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बनाये गये विभिन्न नियम एवं निर्गत विभिन्न आदेश/निदेशों में आवंटित अन्य कार्य, जिसके लिए JSBCL को प्राधिकृत किया गया है, का निष्पादन भी करना होगा।	से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है। (iv) कॉरपोरेशन/विभाग के वेबसाइट का उपयोग, आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा मदिरा की आपूर्त्ति हेतु मांग (OFS) लगाने एवं एतद् संबंधी पारक प्राप्त करने तथा पंजियों के संधारण के लिए किया जायेगा। (v) कॉरपोरेशन/विभाग के वेबसाइट पर विकसित एवं प्रयोग में लायी जा रही विभिन्न प्रकार के प्रपत्र एवं पंजियों के अनुसार ही स्कन्ध (Stock) का संधारण किया जायेगा। (vi) प्रत्येक प्रमण्डल/प्रक्षेत्र/जिला में अवस्थित संचयन गोदाम (वेयरहाउस) से मदिरा की बिक्री खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों तथा होटल/रेस्तरां/बार/क्लब अनुज्ञाधारियों को ही की जायेगी। (vii) खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्त्ति हेतु JSBCL के पोर्टल के माध्यम से पारक निर्गत करने हेतु खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा Indent लगाया जायेगा, जिसकी स्वीकृति संबंधित सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दी जायेगी। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा जिला अन्तर्गत मदिरा परिवहन हेतु अधिकतम दो दिन का समय परिवहन पारक में दिया जायेगा। किसी कारणवश दो दिन के अंदर मदिरा का उठाव नहीं करने की स्थिति में परिवहन पारक की अवधि को सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा। (viii) निर्धारित मूल्य वर्धित कर (वैट) के भुगतान के उपरांत ही मदिरा, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरोपोरेशन लिमिटेड संचयकर्त्ता के गोदाम में संचित की जा सकती है। मूल्य वर्धित कर एवं उत्पाद कर का भुगतान मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता

			कम्पनी के द्वारा किया जायेगा। मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा मदिरा के परेषण एवं संचयन के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक मदिरा विनष्ट होने पर उत्पाद कर/शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं होगी। (ix) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बनाये गये विभिन्न नियम एवं निर्गत विभिन्न आदेश/निदेशों में आवंटित अन्य कार्य, जिसके लिए JSBCL को प्राधिकृत किया गया है, का निष्पादन भी करना होगा। (x) **थोक अनुज्ञाधारी का लाभांश** – भारत निर्मित विदेशी मदिरा यथा विस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, बीयर, वाईन, Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB) यथा ब्रीजर, विदेश निर्मित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) इत्यादि के लिए JSBCL का लाभांश अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 5% तथा देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए थोक अनुज्ञाधारी का लाभांश थोक अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 1% निर्धारित किया जाता है। (xi) JSBCL (थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी), राज्य के मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनियों से उनके गोदाम में संग्रहित किये जाने वाले मदिरा की प्रति पेटी के लिए रू0 2/– (दो रूपये) + GST की दर से किराया (Rent) की वसूली करेंगे। JSBCL द्वारा उक्त राशि का उपयोग उत्पाद विभागीय आधारभूत संरचना यथा चेकपोस्ट, वाहन क्रय, कार्यालय निर्माण, कार्यालय व्यय, Digital Lock, GPS, IT आधारभूत संरचना, उत्पाद मुख्यालय नियंत्रण कक्ष एवं उत्पाद आसूचना संग्रहण इत्यादि को मजबूत करने में खर्च कर सकता है।
17	11	**मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा आपूर्त्ति की प्रक्रिया–**	**मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी JSBCL द्वारा मदिरा आपूर्त्ति की प्रक्रिया–** (i) राज्य के अनुमत मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता,

		(i) मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ता से मदिरा आपूर्त्ति हेतु मांग (Indent) की जायेगी। JSBCL के ऑनलाइन अनुमोदन के आधार पर JSBCL के गोदाम में विभिन्न प्रकार की मदिरा की आपूर्त्ति राज्य में अनुमत आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वारा की जायेगी। आपूरित मदिरा के मूल्य का भुगतान थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा Landing Price के अनुसार सीधे आपूर्त्तिकर्त्ताओं को किया जायेगा। (ii) तीन माह से अधिक समय तक मदिरा का उठाव न होने पर JSBCL थोक विक्रेताओं पर प्रति पेटी JSBCL के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क (Demmurage Charges) की वसूली कर सकेगा। (iii) खुदरा उत्पाद दुकानों में छः माह से अधिक समय तक मदिरा की बिक्री नहीं होती है, तो उस मदिरा को **अविक्रेय मदिरा (Dead Stock)** घोषित कर दिया जायेगा। उक्त मदिरा पर खुदरा बिक्री मूल्य (MRP) के अनुसार JSBCL के प्रावधानों के अनुरूप दाण्डिक शुल्क अधिरोपित कर इसकी वसूली 75% थोक विक्रेताओं तथा 25% प्लेसमेंट एजेन्सी से की जायेगी। (iv) आपूर्त्तिकर्त्ता से थोक विक्रेता द्वारा JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) तक मदिरा के परिवहन हेतु JSBCL के पोर्टल के माध्यम से परिवहन पारक उत्पाद विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत किया जायेगा। एतद् संबंधी परिवहन पारक (Permit) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित सहायक आयुक्त उत्पाद से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जायेगा। (v) थोक विक्रेता द्वारा प्रेषित स्कन्ध का संचयन गोदाम के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मदिरा संचयन से संबंधित सभी वांछित प्रविष्टियाँ संबंधित पंजियों में ही की जायेंगी।JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में ही मदिरा संचित की जायेगी। (vi) विशेष परिस्थिति में प्रक्षेत्र/प्रमंडल से बाहर अंतर संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के लिए मदिरा का स्थानांतरण प्रबंध निदेशक, JSBCL से NOC प्राप्त करने के उपरांत आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुमोदन	मदिरा आपूर्त्ति हेतु JSBCL के वेबसाइट के माध्यम से संबंधित डिपो में मदिरा की आपूर्त्ति के निमित्त OFS (Order for Supply) की स्वीकृति की मांग करेंगे। डिपो प्रबंधक के द्वारा मदिरा की बिक्री/मांग, स्कन्ध एवं राजस्व संग्रहण को दृष्टिपथ रखते हुए उक्त OFS की स्वीकृति/ अस्वीकृति/ संशोधन की अनुशंसा प्रबंध निदेशक, JSBCL अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को की जायेगी। प्रबंध निदेशक, JSBCL अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गई अनुशंसा एवं बाजार में आपूर्त्ति योग्य मदिरा की बिक्री/मांग, स्कन्ध एवं राजस्व संग्रहण को देखते हुए OFS को स्वीकृत/ अस्वीकृत/संशोधित कर सकेंगे। JSBCL के ऑनलाइन अनुमोदन के आधार पर JSBCL के गोदाम में विभिन्न प्रकार की मदिरा की आपूर्त्ति राज्य में अनुमत आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वारा की जायेगी। आपूरित मदिरा के मूल्य का भुगतान JSBCL के द्वारा Landing Price के अनुसार सीधे आपूर्त्तिकर्त्ताओं को किया जायेगा। (ii) तीन माह से अधिक समय तक मदिरा का उठाव न होने पर JSBCL आपूर्त्तिकर्त्ताओं पर JSBCL के प्रावधानों के अनुसार प्रति पेटी विलंब शुल्क (Demmurage Charges) की वसूली कर सकेगा। (iii) **विलोपित** (iv) आपूर्त्तिकर्त्ता से JSBCL द्वारा उनके संचयन गोदाम (वेयरहाउस) तक मदिरा के परिवहन हेतु JSBCL के पोर्टल के माध्यम से परिवहन पारक उत्पाद विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत किया जायेगा। (v) आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा प्रेषित स्कन्ध का संचयन गोदाम के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मदिरा संचयन से संबंधित सभी वांछित प्रविष्टियाँ संबंधित पंजियों में ही की जायेंगी। JSBCL के संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में ही मदिरा संचित की जायेगी। (vi) विशेष परिस्थिति में प्रक्षेत्र/प्रमंडल/

		प्राप्त कर किया जा सकेगा।	जिला से बाहर अंतर संचयन गोदाम (वेयरहाउस) के लिए मदिरा का स्थानांतरण प्रबंध निदेशक, JSBCL से NOC प्राप्त करने के उपरांत आयुक्त उत्पाद के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा। (vii) JSBCL द्वारा राज्य में मांग के अनुरूप मदिरा आपूर्त्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता के ऊपर उत्पाद कर में हुई क्षति के समतुल्य राशि का अर्थदण्ड प्रबंध निदेशक, JSBCL, राँची की अनुशंसा पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा। मांग के अनुरूप वांछित मदिरा की आपूर्त्ति हेतु JSBCL के द्वारा सभी मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ताओं को लिखित रूप से 20 (बीस) दिन पूर्व सूचित कर दिया जायेगा।
18	12	**मदिरा की क्षति की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की देयता–** (i) संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में मदिरा के परिवहन की जिम्मेवारी थोक विक्रेता की होगी। किसी भी प्रकार की परिवहन क्षति/संचयन क्षति की पूर्ण जिम्मेवारी थोक विक्रेता की ही होगी।थोक विक्रेता द्वारा गोदामों में संचित मदिरा का बीमा कराना आवश्यक होगा। (ii) थोक विक्रेता के द्वारा संचयन गोदाम में Non Duty Paid मदिरा के स्कन्धों का संचयन किया जायेगा। अतः उत्पाद राजस्व को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्धारित राशि का बंध पत्र थोक विक्रेता को समर्पित करना पड़ेगा।	**मदिरा की क्षति की स्थिति में आपूर्त्तिकर्त्ता की देयता–** (i) संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में मदिरा के परिवहन की जिम्मेवारी आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी। किसी भी प्रकार की परिवहन क्षति/संचयन क्षति की पूर्ण जिम्मेवारी मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता की ही होगी। प्रत्येक माह जिला उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में परिवहन क्षति/संचयन क्षति की गणना JSBCL के डिपो प्रबंधक की सहायता से किया जाना अनिवार्य होगा। परिवहन क्षति/संचयन क्षति में सन्निहित मदिरा की मात्रा गोदाम में संचित स्कन्ध से घटा दिया जायेगा। JSBCL द्वारा गोदामों में संचित मदिरा का बीमा कराना आवश्यक होगा। (ii) JSBCL के द्वारा संचयन गोदाम में Pre Duty Paid मदिरा के स्कन्धों का ही संचयन किया जायेगा।
19	16	**आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थापना** – संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर थोक विक्रेता, संचयकर्त्ता, आपूर्त्तिकर्त्ता एवं विनिर्माता प्रतिष्ठानों के अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Boom Barrier, GPS based	**आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थापना** – संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत JSBCL के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर JSBCL, संचयकर्त्ता, आपूर्त्तिकर्त्ता एवं विनिर्माता प्रतिष्ठानों के अनुज्ञाधारी Track & Trace

		Vehicle Tracking Device, Digital Lock से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से गोदाम में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय–समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निदेश नहीं मानने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा, अथवा संबंधित विनिर्माणकर्त्ता प्रतिष्ठान में उत्पादित मदिरा की आपूर्त्ति पर रोक लगा दिया जायेगा। थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी, विभाग द्वारा निबंधित/अनुमोदित लेबलों से भिन्न ब्राण्ड की मदिरा की आपूर्त्ति नहीं कर सकेंगे। जिन ब्राण्ड पर Excise Hologram नहीं चिपका हुआ हो, उसकी भी बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी Expired Stock की भी बिक्री नहीं करेगा।	Technology, IP based CCTV, Electronic Boom Barrier, GPS based Vehicle Tracking Device, Digital Lock से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से गोदाम में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय–समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा। JSBCL, विभाग द्वारा निबंधित/अनुमोदित लेबलों से भिन्न ब्राण्ड की मदिरा की आपूर्त्ति नहीं कर सकेंगे। जिन ब्राण्ड पर Excise Hologram नहीं चिपका हुआ हो, उसकी भी बिक्री नहीं की जायेगी। JSBCL, Expired Stock की भी बिक्री नहीं करेगा।
20	20	**अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्तियों का वैध वारिस को स्थानांतरण**– (i) थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार वैध वारिस के माध्यम सेतात्कालिक व्यवस्था के तहत क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण आयुक्त उत्पादके द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्त्ते कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। (ii) अनुज्ञप्ति के नाम स्थानांतरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।	विलोपित
21	22	**मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं रहने पर मदिरा के निष्पादन की प्रक्रिया**– किसी भी प्रकार की मदिरा के लिए यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि यह अब मानव उपभोग योग्य नहीं है, तो मदिरा के थोक विक्रेता के द्वारा जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के समक्ष इसके विनष्टीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा। इस प्रकार की मदिरा के विनष्टीकरण के लिए सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद आदेश करेंगे। सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि एवं मदिरा के थोक विक्रेता के प्रतिनिधि के समक्ष मदिरा का विनष्टीकरण	**मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं रहने पर मदिरा के निष्पादन की प्रक्रिया**– किसी भी प्रकार की मदिरा के लिए यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि यह अब मानव उपभोग योग्य नहीं है, तो JSBCL/मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद के समक्ष इसके विनष्टीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा। इस प्रकार की मदिरा के विनष्टीकरण के लिए सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद आदेश करेंगे। सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद स्वयं अथवा

		करेंगे। विनष्टीकरण के पश्चात मदिरा के थोक विक्रेता अपने स्कन्ध पंजी से ऐसे स्कन्ध को घटा देंगे। विनष्टीकरण की कार्रवाई का वीडियो रिकॉडिंग किया जायेगा एवं इसके CD/DVD/Pen Drive की एक प्रति जिला उत्पाद कार्यालय तथा एक प्रति अनुज्ञाधारी के पास सुरक्षित रखी जायेगी।	अपने प्रतिनिधि तथा JSBCL एवं मदिरा आपूर्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि के समक्ष मदिरा का विनष्टीकरण करेंगे। विनष्टीकरण के पश्चात मदिरा के JSBCL अपने स्कन्ध पंजी से ऐसे स्कन्ध को घटा देंगे। विनष्टीकरण की कार्रवाई का वीडियो रिकॉडिंग किया जायेगा एवं इसके CD/DVD/Pen Drive की एक प्रति जिला उत्पाद कार्यालय तथा एक प्रति अनुज्ञाधारी के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
22	27	इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त संचयकर्त्ता एवं थोक विक्रेता, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।	इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त संचयकर्त्ता एवं थोक विक्रेता (JSBCL), झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 649 दिनांक 31.03.2022 द्वारा अधिसूचित झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022 के शेष नियम यथावत रहेंगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–04/2024–..................../ राँची, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखंड राज्य के राजकीय गजट में अविलंब करें तथा प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–04/2024–..................../ राँची, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, राँची/सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–04/2024–..................../ राँची, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखंड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त/उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।